

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 176/25

तारीख दायर 22/8/25

प्रेषिति :-

दिनांक 8/9/25

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....176..... / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत।

शिव राज सोयल पुत्र बालुराम सोयल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हालमुकाम फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. देबीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हालमुकाम फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीलाल पुत्र नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) *विरोध*

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 222 पर अंकित आराजी संख्या 270 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 271 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 176/25

शिव राज सोयल पुत्र बालुराम सोयल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) तारीख दायर 22/8/25

बनाम

.....प्रार्थी

1. कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हालमुकाम फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. देबीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हालमुकाम फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीलाल पुत्र नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

विरोध

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 8/9/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 222 पर अंकित आराजी संख्या 270 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 271 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ